

प्रेषक,

महानिदेशक,

परिवार कल्याण महानिदेशालय,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: प0क0-13/सं0नि0न0/श0आ0-दि0नि0/52/2019-20/ 1247-75 लखनऊ: दिनांक: 03.06.2019

विषय:- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 हेतु शहरी आशा के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत चिन्हित शहरों/कस्बों में शहरी आशाओं के चयन एवं प्रशिक्षण कराया जा रहा है तथा अधिकांश शहरों/कस्बों में प्रशिक्षणोपरान्त उनके द्वारा कार्य करना प्रारम्भ कर दिया गया है। इन शहरी आशाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की भांति शहरों/कस्बों विशेषकर मलिन बस्तियों में रहने वाली जनता को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किये जाने में विशेष सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

अतः राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृति आर0ओ0पी0 के अनुसार शहरी आशा द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार कर पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

( डा0 नीना गुप्ता )  
महानिदेशक

पू0प0संख्या- प0क0-13/सं0नि0न0/श0आ0-दि0नि0/52/2019-20/

तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
- 4- अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
- 5- समस्त जिलाधिकारी/जिलाध्यक्ष, जिला कार्यकारी समिति, उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 7- महाप्रबन्धक, कम्युनिटी प्रोसेस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
- 8- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
- 9- समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त मण्डलीय अरबन हेल्थकन्सल्टेंट, एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।
- 11- जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जनपदीय अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।

( डा0 नीना गुप्ता )  
महानिदेशक

प्रेषक,

महानिदेशक,  
परिवार कल्याण महानिदेशालय,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: प0क0-13/सं0नि0न0/श0आ0-दि0नि0/52/2019-20/

लखनऊ: दिनांक: 03.06. 2019

विषय:- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 हेतु शहरी आशा के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत चिन्हित शहरों/कस्बों में शहरी आशाओं के चयन एवं प्रशिक्षण कराया जा रहा है तथा अधिकांश शहरों/कस्बों में प्रशिक्षणोपरान्त उनके द्वारा कार्य करना प्रारम्भ कर दिया गया है। इन शहरी आशाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की भांति शहरों/कस्बों विशेषकर मलिन बस्तियों में रहने वाली जनता को स्वस्थ सेवाएं प्रदान किये जाने में विशेष सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

अतः राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृति आर0ओ0पी0 के अनुसार शहरी आशा द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार कर पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

( डा0 नीना गुप्ता )  
महानिदेशक

पू0प0संख्या- प0क0-13/सं0नि0न0/श0आ0-दि0नि0/52/2019-20/1322-333 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
- 4- अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
- 5- समस्त जिलाधिकारी/जिलाध्यक्ष, जिला कार्यकारी समिति, उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 7- महाप्रबन्धक, कम्युनिटी प्रोसेस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
- 8- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
- 9- समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त मण्डलीय अरबन हेल्थकन्सल्टेंट, एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।
- 11- जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जनपदीय अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।

( डा0 नीना गुप्ता )  
महानिदेशक

## राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्ष 2019-20 हेतु शहरी आशा योजना के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चिन्हित शहरों/कस्बों में शहरी आशाओं के चयन एवं प्रशिक्षण किया जा रहा है। इन आशाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की भाँति शहरों/कस्बों विशेषकर मलिन बस्तियों में रहने वाली जनता को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किये जाने में विशेष सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

शहरी आशा कार्यक्रम को सुचारु एवं प्रभावी रूप से चलाने हेतु शहरी आशा योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों हेतु दिशा-निर्देश निम्नानुसार प्रेषित किये जा रहे हैं-

### **1. शहरी आशा की भूमिका एवं उत्तरदायित्व**

आशा, समुदाय को स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कराने में सहायता प्रदान करने के साथ ही शहरी आबादी के वंचित वर्गों विशेषतः महिलाओं एवं बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी प्रदान करेगी तथा समुदाय एवं स्वास्थ्य कर्मियों के मध्य सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त शहरी आशा निम्नलिखित कार्य संपादित करेगी-

- गर्भावस्था के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव तैयारी, सुरक्षित प्रसव का महत्व, स्तनपान, सम्पूरक आहार, टीकाकरण के सम्बन्ध में महिलाओं को परामर्श प्रदान करना।
- गर्भवती महिला अथवा बच्चे को उपचार की आवश्यकता पड़ने पर एक पूर्व निर्धारित नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र जैसे - नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्रथम संदर्भन इकाई पर साथ लेकर जाना अथवा संदर्भन के लिए प्रबन्ध करना।
- सरकार द्वारा शहरी स्वास्थ्य इकाईयों पर उपलब्ध करायी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराना एवं प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना।
- सरकार द्वारा प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सामग्री जैसे- ओ0आर0एस0, आयरन की गोलियों, क्लोरोक्विन, डी.डी. किट, गर्भनिरोधक गोलियों तथा कण्डोम, आकस्मिक गर्भनिरोधक गोली आदि के लिए डिपो होल्डर के रूप में कार्य करना।
- प्रजनन तंत्र/यौन जनित संक्रमण के सम्बन्ध में समुचित जानकारी प्रदान करना।
- आशा द्वारा ए.एन.एम. के साथ मिलकर अपने कार्यक्षेत्र में महिला आरोग्य समितियों के गठन एवं विकास में सहयोग करना एवं महिला आरोग्य समितियों के सहयोग से स्वास्थ्य योजना तैयार करना।
- महिला आरोग्य समिति की मासिक बैठक आयोजित कराना।
- सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत घरों में शौचालय निर्माण के लिए जागरूकता उत्पन्न करना।
- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं के सम्बन्ध में समुदाय को जानकारी प्रदान करना तथा जागरूकता उत्पन्न करना।
- अपने कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित घरों में जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण कराने हेतु परिवार को प्रेरित करना, नगरीय क्षेत्र के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण इकाईयों को सूचित करना तथा समुदाय में फैलने वाले अन्य रोगों की सूचना नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उपलब्ध कराना।
- विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों में दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य संपादित करना।
- पुनरक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत डॉट्स प्रदाता के रूप में कार्य करना।

8/11

- अन्धता निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत मोतियाबिन्द से ग्रसित व्यक्तियों को चिन्हित करना तथा चिकित्सालय/कैम्प में संदर्भित करना।
- सामान्य रोगों, यथा-दस्त, बुखार, हल्की चोटों के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रदान कर आवश्यकतानुसार संदर्भित करना।
- अल्पसेवित, असेवित, स्वास्थ्य सुविधाओं का उपभोग न कर पाने में सक्षम परिवारों पर विशेष ध्यान देना।
- उपरोक्त के अतिरिक्त शहरी आशा के सम्बन्ध में केन्द्र अथवा राज्य स्तर से निर्धारित अन्य कार्य का संपादन करना।
- शहरी स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका को अद्युनात करना।
- प्रशिक्षण पश्चात (6-7 मॉड्यूल प्रथम चरण के पश्चात) गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल (HBNC) कार्यक्रम में आशा द्वारा जन्म से 42 दिन तक नवजात शिशु एवं माँ की 6 से 7 बार गृह भ्रमण के दौरान देखभाल करना।

आशा कार्यक्रम को सुचारू एवं प्रभावी रूप से चलाने हेतु शहरी आशा योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों हेतु दिशा-निर्देश निम्नानुसार प्रेषित किये जा रहे हैं-

## 2. शहरी आशा प्रतिपूर्ति राशि

शहरी आशा द्वारा किये जा रहे कार्यों के आधार पर विभिन्न अनुमोदित गतिविधियों में प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाना है। प्रतिपूर्ति राशियों का ससमय भुगतान किये जाने से आशाओं के उत्साह, मनोबल एवं कार्य क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी, जिससे वह अपने कार्यों को और सक्रिय रूप से कर पाने में सक्षम हो पायेंगी तथा समुदाय को गुणवत्तापरक सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। इन गतिविधियों को योजनाबद्ध तरीके से कार्यान्वित किये जाने एवं अभिलेखीकरण हेतु शहरी आशाओं को शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसमें शहरी आशा अपने क्षेत्र में किये जाने वाले सभी स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारियों एवं सेवाओं का उल्लेख करती है। जिसकी सहायता से शहरी आशा के कार्य के सत्यापन में मदद मिलती है एवं शहरी आशा को समय से प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाता है।

**FMR Code U.3.1.1.1 Incentive for routine activity-** भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में शहरी आशाओं को उनके द्वारा किये जाने वाले नियमित गतिविधियों के लिए प्रतिपूर्ति राशि के रूप में FMR Code U.3.1.1.1 में ₹0 2000/- प्रतिमाह दिये जाने का प्राविधान किया गया है। इन गतिविधियों का विवरण एवं गतिविधियों के लिए दी जाने वाली धनराशि निम्न तालिका में दी गयी है-

एफ.एम. आर. कोड	क्र.सं.	गतिविधियाँ	प्रतिपूर्ति राशि (₹0 में)
FMR Code U.3.1.1.1	1	शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में लाभार्थियों को प्रेरित करने एवं उपस्थित रहने पर	200
	2	महिला आरोग्य समिति की बैठक का आयोजन, प्रतिभाग एवं अभिलेखीकरण करने पर	150
	3	शहरी आशाओं को सी.एच.सी./पी.एच.सी. पर मासिक बैठक में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय	150
	4	वर्ष के आरम्भ में एवं 6 माह के पश्चात परिवारों की सूची तैयार करने पर तथा मासिक रूप से अद्यतन करने पर	300

*CSW*

एफ.एम. आर. कोड	क्र.सं.	गतिविधियाँ	प्रतिपूर्ति राशि (रु० में)
	5	शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर का अद्यतन करने व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण हेतु सहायता करने पर	300
	6	टीकाकरण हेतु बच्चों का ड्यू लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	300
	7	ANC लाभार्थियों का लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	300
	8	योग्य दम्पतियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	300
नियमित गतिविधियों के लिए कुल प्रतिपूर्ति राशि			2000

\*उपरोक्त गतिविधियों में से जब तक महिला आरोग्य समिति का गठन नहीं किया जाता है, तब तक उक्त मद में अधिकतम धनराशि कुल रु० 1850/- प्रतिमाह ही अनुमन्य होगी।

- शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में लाभार्थियों को प्रेरित करने एवं उपस्थित रहने पर— शहरी आशा द्वारा शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के एक दिन पूर्व समस्त लाभार्थियों को शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में प्रतिभाग किये जाने हेतु सूचित करेगी। शहरी आशा को अपने क्षेत्र में आयोजित शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में लाभार्थियों को प्रेरित करने, स्वयं उपस्थित रहने हेतु रु० 200/- प्रतिमाह प्रावधानित किया गया है।
- महिला आरोग्य समिति की बैठक का आयोजन, प्रतिभाग एवं अभिलेखीकरण करने पर — शहरी आशा द्वारा प्रतिमाह अपने क्षेत्र में गठित महिला आरोग्य समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा एवं सदस्य सचिव के रूप में समस्त कार्यविधि को भी अभिलेखीकृत किया जायेगा। महिला आरोग्य समिति के सम्बंध में परिवार कल्याण महानिदेशालय के पत्र संख्या प०क०-13/सं०नि०न०/म०आ०स० /128/2018-19/2966-75 लखनऊ दिनांक 26 सितम्बर 2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं। उक्त बैठक के अंतर्गत आने वाली समस्त शहरी आशाओं को बैठक में सहयोग व प्रतिभाग करने पर रु० 150/- दिया जायेगा।
- शहरी आशाओं को नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मासिक बैठक में भाग लेने हेतु— शहरी आशाओं की मासिक बैठकों का आयोजन नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर किया जाता है। इस बैठक में प्रतिभाग करने पर आशाओं को प्रतिमाह रु० 150/- प्रतिपूर्ति राशि के रूप में प्रदान किये जायेंगे।
- कार्य क्षेत्र में सर्वे को अद्यतन करना — उक्त मद के अंतर्गत शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर के सम्बन्धित भाग में प्रत्येक माह सर्वे अद्यतन करना होगा। कार्यक्षेत्र में यदि नये परिवार जुड़े हैं अथवा वर्तमान परिवारों में जन्म/मृत्यु/विवाह हुआ हो तो इनका मासिक आधार पर अंकन किया जाना होगा। इस कार्य हेतु शहरी आशा को रु० 300/- प्रति माह प्रोत्साहन धनराशि का प्राविधान किया गया है। आशा द्वारा प्रत्येक 6 माह में अपने कार्यक्षेत्र के समस्त परिवारों का क्षेत्र भ्रमण करके रजिस्टर के सम्बन्धित भाग में वार्ड सर्वे तालिका में सूचनाएं अंकित/अद्यतन की जानी होंगी।
- शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर को अद्यतन करने व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण हेतु सहायता करने पर— शहरी आशा को अपने सूचकांक रजिस्टर को मासिक आधार पर अद्यतन रखना होगा

तथा अपने कार्यक्षेत्र में समस्त जन्मों एवं मृत्युओं के पंजीकरण में सहयोग प्रदान करना होगा। इस कार्य हेतु आशा को रू0 300/- प्रति माह प्रतिपूर्ति राशि का प्राविधान किया गया है।

- **टीकाकरण हेतु ड्यू लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर-** रजिस्टर में सम्बन्धित भाग में विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं हेतु अपेक्षित लाभार्थियों (टीकाकरण हेतु बच्चों, गर्भवती महिलाओं) की सूची तैयार की जानी है। इस हेतु शहरी आशाओं को प्रतिमाह रू0 300/- प्रतिपूर्ति राशि का प्राविधान किया गया है। शहरी आशाओं द्वारा सही एवं पूर्ण रूप से ड्यू लिस्ट बनाने पर ड्राप आउट एवं लेफ्ट आउट बच्चों, गर्भवती महिलाओं के चिन्हीकरण में मदद मिलेगी जिससे उनको समय-समय पर सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। ड्यू लिस्ट बनाते समय अल्पसेवित परिवारों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- **ANC लाभार्थियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर-** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। शहरी आशाओं से अपेक्षा की जाती है कि सभी गर्भवती महिलाओं की जल्द से जल्द पहचान कर पंजीकरण तथा न्यूनतम 3 प्रसव पूर्व जाँचें करायेगी एवं संस्थागत प्रसव हेतु प्रेरित करेगी जिससे क्षेत्र की मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लायी जा सके। रजिस्टर के सम्बन्धित भाग में गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव सेवा एवं टीकाकरण सम्बन्धी विवरणों को अंकित किया जाना है। इस हेतु शहरी आशाओं को प्रतिमाह रू0 300/- प्रोत्साहन धनराशि का प्राविधान किया गया है। शहरी आशाओं द्वारा सभी गर्भवती महिलाओं की प्रसव योजना तैयार की जानी है। इसके अंतर्गत शहरी आशा द्वारा गर्भवती महिलाओं से संपर्क कर उनका पंजीकरण कराना, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रसव स्थान का चिन्हीकरण, परिवहन की व्यवस्था, प्रसव के समय सहयोग करने वाले परिवार के सदस्यों का चिन्हीकरण का विवरण शहरी स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका के सम्बन्धित भाग में अंकित किया जाना है।
- **योग्य दम्पतियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर-** शहरी आशा, अपने शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर के सम्बन्धित भाग में जो परिवार नियोजन के लिए योग्य दम्पतियों के विवरण से सम्बन्धित है, क्षेत्र के रहने वाले समस्त योग्य दम्पतियों की सूची बनाकर अद्यतन करेगी। इस कार्य हेतु रू0 300/- प्रतिमाह का प्राविधान किया गया है।

**नोट-** यदि किसी कारण से आशा उपरोक्त वर्णित गतिविधियों में से किसी एक या अधिक गतिविधि को पूर्ण नहीं कर पाती तो शेष गतिविधियों में शहरी आशा को भुगतान किया जायेगा। उदाहरण- यदि किसी कारणवश शहरी आशा अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाली शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में प्रतिभाग नहीं करती है एवं शहरी आशा द्वारा अन्य गतिविधियों में प्रतिभाग किया गया है तो उस दशा में शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में प्रतिभाग नहीं करने हेतु अनुमोदित राशि रू0 200/- का भुगतान नहीं किया जायेगा।

**FMR Code U.3.1.1.2- other Incentive to ASHA Janani Surakha Yojana-** इस मद के अन्तर्गत जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अरबन आशा के प्रतिपूर्ति राशि हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसका मातृ स्वास्थ्य अनुभाग से निर्गत निर्देशों के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

*शहरी आशा द्वारा उपरोक्त गतिविधियों के लिए दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि के अतिरिक्त नियमित टीकाकरण, पल्स पोलियो, परिवार कल्याण, राष्ट्रीय कार्यक्रमों, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं अन्य कार्यक्रमों में भी आशा हेतु कार्य के आधार पर प्रतिपूर्ति राशियों का प्राविधान है। जिसके विस्तृत दिशा-निर्देश सम्बन्धित अनुभाग द्वारा प्रेषित किये जायेंगे।*

### 3. शहरी आशा को प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु दिशा-निर्देश

ग्रामीण क्षेत्रों की भाँति शहरी क्षेत्रों में भी संचालित विभिन्न गतिविधियों जैसे जे0एस0वाई0, बाल स्वास्थ्य, नियमित टीकाकरण, परिवार कल्याण सेवाएं एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम इत्यादि में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत लाभार्थियों एवं आशा को प्रतिपूर्ति धनराशि राशि दी जानी है। अरबन आशा के प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान के सम्बंध में निम्न व्यवस्था की गयी है-

- जिन आशाओं ने 8 दिवसीय प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो उन्हीं आशाओं को प्रतिपूर्ति राशि देय होगी। शहरी आशाओं द्वारा अपने क्षेत्र में किये गये कार्यों के लिये ही भुगतान किया जायेगा।
- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक बैंक खाता खोला जा रहा है। अरबन आशा के नियमित गतिविधियों एवं जननी सुरक्षा कार्यक्रम हेतु प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एन0यू0एच0एम0 के अन्तर्गत खोले गये बैंक खाता से किया जायेगा। जिन नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अभी बैंक खाता नहीं खोला गया है वहाँ बैंक खाता खोले जाने तक पूर्व की भाँति प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जायेगा।
- शहरी आशा को एन0यू0एच0एम0 के अन्तर्गत दी जाने वाले प्रतिपूर्ति राशि के अतिरिक्त नियमित टीकाकरण, पल्स पोलियो, परिवार कल्याण, राष्ट्रीय कार्यक्रमों, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं अन्य कार्यक्रमों हेतु आशाओं को दी जाने वाली धनराशि का भुगतान सम्बंधित कार्यक्रम के टीयर-2 खाते से किया जायेगा।
- एन0यू0एच0एम0 फ्लैक्सीपूल, आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल तथा अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुमोदित आशा प्रतिपूर्ति राशि के अलग अलग वाउचर बनाये जायेंगे।
- शहरी आशा द्वारा विगत माह की 21 तारीख से वर्तमान माह की 20 तारीख तक की गयी समस्त गतिविधियों का विवरण आशा पेमेन्ट वाउचर में अंकित कर माह की 25 तारीख तक क्षेत्रीय ए.एन.एम. को उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए, साथ ही ए.एन.एम. का भी यह दायित्व होगा कि माह की 25 तारीख तक अपने क्षेत्र की समस्त आशाओं से वाउचर एकत्र कर लें।
- ए.एन.एम. द्वारा माह की 30 तारीख तक वाउचर में अंकित गतिविधियों का सत्यापन कर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के पास जमा करा दिये जायेंगे। ए.एन.एम. द्वारा अपने क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान शहरी आशा द्वारा किये गये कार्यों का नियमित सत्यापन कर शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर में अंकित कर देना चाहिए, इससे माह के अन्त में वाउचर के सत्यापन में आसानी होगी। यदि ए.एन.एम. अपने सम्बन्धित शहरी आशाओं द्वारा किये गये कार्यों का सत्यापन माह में होने वाली मासिक बैठक से पूर्व ही कर लेती है, तो नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर होने वाली मासिक बैठक में शहरी आशाओं के क्षमता निर्माण हेतु व अन्य विषयों पर चर्चा करने के लिए अधिक समय मिल सकेगा।
- एन0यू0एच0एम0 के अन्तर्गत जनपद में तैनात सिटी कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर/डी0ई0ओ0 कम एकाउन्टेन्ट/डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक माह सभी शहरी आशाओं के वाउचर ससमय प्राप्त कर लिये जाये तथा परीक्षण करते हुये यह सुनिश्चित किया जाय कि वाउचर सही और पूर्ण भरे हों।
- एन0यू0एच0एम0 के अन्तर्गत जनपद में तैनात सिटी कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर/डी0ई0ओ0 कम एकाउन्टेन्ट/डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट प्रत्येक आशा का एन0यू0एच0एम0 फ्लैक्सीपूल,



आर०सी०एच० फ्लैक्सीपूल एवं अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत किये गये कार्यों के अनुसार भुगतान हेतु धनराशि के अलग अलग वाउचर के अनुसार अलग अलग सूची तैयार करेंगे। डी०ई०ओ० कम एकाउन्टेंट/डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट द्वारा तैयार सूची को प्रभारी चिकित्साधिकारी /अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर/नोडल अधिकारी एन०यू०एच०एम० द्वारा अगले माह की 2 तारीख तक परीक्षण कर सत्यापित किया जायेगा।

- एकाउन्टेंट कम डी०ई०ओ०/डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट अरबन आशा के प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु एन०यू०एच०एम० फ्लैक्सीपूल से होने वाले भुगतान की सूची को प्रभारी चिकित्साधिकारी/जनपदीय नोडल अधिकारी एन०यू०एच०एम० तथा आर०सी०एच० फ्लैक्सीपूल एवं अन्य कार्यक्रमों से होने वाले भुगतान की सूची को ए०सी०एम०ओ० आर०सी०एच०/कार्यक्रम अधिकारी के समक्ष जमा करेंगे।
- एन०यू०एच०एम० फ्लैक्सीपूल से होने वाले भुगतान को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर संचालित एन०यू०एच०एम० के खाते से सीधे आशाओं के बैंक खाते में धनराशि स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी। जिन नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अभी तक खाते नहीं खुले हैं वहाँ पर खाता खोले जाने तक पूर्व की भाँति जनपद मुख्यालय स्तर पर संचालित एन०यू०एच०एम० के खाते से सीधे आशाओं के बैंक खाते में धनराशि स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी।
- आर०सी०एच० फ्लैक्सीपूल एवं अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में आशाओं को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि को सम्बंधित नोडल/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर संचालित टीयर-2 खाते से सीधे आशाओं के बैंक खाते में स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी।
- जिला मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य शहरों/कस्बों में संचालित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आर०सी०एच० फ्लैक्सीपूल एवं अन्य कार्यक्रमों से अरबन आशाओं को किये जाने वाले प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान की सूची, सम्बन्धित ब्लाक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिस इकाई से उस क्षेत्र की ग्रामीण आशाओं का भुगतान किया जाता है, भुगतान हेतु प्रेषित की जायेगी। ब्लाक स्तरीय अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा आशाओं के बैंक खाते में धनराशि स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी।
- अरबन आशा के प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान के अतिरिक्त नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर होने वाले प्रसव के लाभार्थियों का भुगतान उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार ही किया जायेगा।
- अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर/डी०सी०ए०ए०/सिटी कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर/डी०ई०ओ० कम एकाउन्टेंट द्वारा समस्त वाउचर भुगतान के पश्चात् सुरक्षित रखे जायेंगे। वाउचरों का अंकन नियमित रूप से मास्टर आशा पेमेंट रजिस्टर में अंकित किया जायेगा (संलग्नक-2)।
- जिला मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य शहरों/कस्बों में संचालित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत कार्यरत आशा को आर०सी०एच० फ्लैक्सीपूल एवं अन्य कार्यक्रमों के मद में भुगतान की संकलित सूचना ब्लाक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा माह की 10 तारीख तक प्रपत्र 3 पर अरबन कोऑर्डिनेटर/ अरबन नोडल अधिकारी को उपलब्ध करा दी जाये।
- अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर द्वारा जनपद मुख्यालय पर एन०यू०एच०एम० फ्लैक्सीपूल में होने वाले भुगतान की सूचना प्रपत्र 3 पर माह की 10 तारीख पर संकलित की जायेगी तथा माह की 12 तारीख तक समस्त भुगतान की संकलित सूचना (एन०यू०एच०एम० फ्लैक्सीपूल तथा आर०सी०एच० फ्लैक्सीपूल एवं अन्य कार्यक्रमों से किये गये भुगतान) प्रपत्र 4 पर राज्य स्तर (राज्य कार्यक्रम

*Rive*



प्रबन्धन इकाई/परिवार कल्याण महानिदेशालय) को अवश्य उपलब्ध करा दी जाये (संलग्नक-3 व 4)।

- जिला स्तर पर भी आशा प्रतिपूर्ति भुगतान राशि के विवरण को कम्प्यूटर में सुरक्षित रखा जाये जिसमें नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अनुरूप सम्बन्धित माह में आशाओं को भुगतान की गयी कुल प्रतिपूर्ति राशि का विस्तृत विवरण प्रपत्र-3 के अनुरूप अंकित की जाये।
- शहरी आशाओं को उनके द्वारा प्रस्तुत वाउचर के सापेक्ष उनके खाते में स्थानान्तरित की गयी धनराशि की सूचना प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सूचनापट्ट पर चस्पा करवा दी जाये।
- नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आशाओं को किये गये भुगतान राशि को मासिक आधार पर आशा डाटा बेस में अंकन किया जाये। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उक्त अंकन में आशा को माह में प्राप्त होने वाली समस्त प्रतिपूर्ति राशियों को सम्मिलित किया जाये।
- भुगतान के उपरान्त सम्बन्धित विवरण "आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर" में DEO Cum Accountant/CCPM/DCAA द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा। साथ ही मास्टर रजिस्टर पेमेन्ट की Soft Copy कम्प्यूटर में Excel Sheet में भी बना ली जाये, जिससे अनुश्रवण में आसानी हो। निर्धारित वाउचर एवं प्रपत्रों के प्रारूप में किसी भी प्रकार का बदलाव न किया जाये, ऐसा करना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।
- नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर प्रभारी चिकित्साधिकारी मासिक आधार पर अच्छा कार्य कर रही आशाओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे अन्य आशाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। इसके अतिरिक्त उन गतिविधियों/कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी, जिसमें आशा द्वारा अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जायेगी एवं इन कारणों को दूर करने के उपाय किये जायेंगे। आवश्यकता पड़ने पर ऐसी आशाओं के क्षमतावर्द्धन हेतु आशाओं की मासिक बैठक में चर्चा की जानी चाहिए।
- किसी भी परिस्थिति में आशाओं का भुगतान लंबित न रखा जाये। जनपद में आशा भुगतान हेतु जनपदीय अरबन नोडल अधिकारी (NUHM) अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर, डी0सी0ए0ए0, सिटी कम्प्युनिटी प्रोसेस मैनेजर एवं एकाउन्टेंट कम डी0ई0ओ0 संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। आशा भुगतान की प्रतिमाह जनपद स्तर पर समीक्षा की जाये एवं इसे जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक के एजेण्डा में नियमित रूप से सम्मिलित किया जाये।
- यदि किसी शहरी आशा को भुगतान प्रपत्र भरने में कोई समस्या आती है, तो ऐसी स्थिति में प्रभारी चिकित्साधिकारी/ अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर/DCAA/ सिटी कम्प्युनिटी प्रोसेस मैनेजर/ एकाउन्टेंट कम डी0ई0ओ0 द्वारा प्रपत्र भरने में आशा को मार्गदर्शन दिया जायेगा।
- शहरी आशा भुगतान अभिलेखों को ऑडिट एवं अन्य जाँच हेतु जनपदीय अरबन नोडल अधिकारी/अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर/डी0सी0ए0ए0/सिटी कम्प्युनिटी प्रोसेस मैनेजर/ एकाउन्टेंट कम डी0ई0ओ0 द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा ताकि किसी भी समय किसी विभागीय अधिकारी द्वारा इन अभिलेखों का सत्यापन किया जा सके।
- आशा भुगतान के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से अनियमितता की जाती है, तो सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये तथा भुगतान की गयी धनराशि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से वसूल कर ली जाये।



#### 4. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

- जिला स्तर के अधिकारी द्वारा नियमित रूप से नगरीय प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर उपलब्ध आशा प्रतिपूर्ति राशि से सम्बन्धित वाउचर्स एवं प्रपत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना है। राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा भी समय-समय पर अपने पर्यवेक्षकीय भ्रमण के दौरान "आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर" एवं आशा प्रतिपूर्ति राशि से सम्बन्धित वाउचर्स एवं प्रपत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना है।
- इसी प्रकार आशा मेन्टॉरिंग समूह के सदस्यों द्वारा भी अपने भ्रमण के दौरान आशा प्रतिपूर्ति राशि भुगतान की जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए जिससे वे आशा मेन्टॉरिंग समूह की बैठक में सदस्यों को अवगत करा सकें।

#### 5. शहरी आशा को ड्रग किट दिये जाने हेतु दिशा निर्देश-

प्रदेश की समस्त शहरी आशाओं को आरम्भिक उपचारात्मक देखभाल प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रशिक्षण के अनुसार सामान्य रोग जैसे- दस्त, बुखार आदि के आरम्भिक प्रबन्धन परिवार नियोजन सामग्रियों के वितरण आदि के लिए ड्रग किट दी जानी है।

भारत सरकार द्वारा आशा ड्रग किट दिये जाने के सम्बन्ध में जारी मॉडल दिशा-निर्देशों के क्रम में निम्न औषधियों को शहरी आशाओं को दिये जाने का प्राविधान किया जा रहा है।

- शहरी आशा की दवा किट में रखी वस्तुओं की सूची

क्र.स.	दवा/सामग्री	1 माह के लिए अनुमानित आवश्यकता
1	घर पर स्वच्छ प्रसव के लिए डीडीके किट	3
2	पैरासीटामाल टैबलेट	20
3	आयरन फॉलिक एसिड (एल) की गोलियां	400
4	डाइसाइक्लोमाइन टैबलेट	20
5	जिंक टैबलेट	50
6	ओआरएस के पैकेट	10
7	निश्चय किट	3
8	कण्डोम (3 का पैकेट)	30
9	खाने की गर्भनिरोधक गोलियां (चक्रों में)	10
10	आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली	10
11	साबुन	1
12	विसंक्रमित रूई (50 ग्राम)	1
13	पोविडाइन मलहम की ट्यूब	1
14	पट्टियां 4 से.मी. X 4 मीटर	2

उपरोक्त तालिका में वर्णित सामग्रियों एवं उनकी मात्रा में स्थानीय आवश्यकताओं एवं सामग्री की उपलब्धता के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

- शहरी आशा ड्रग किट का उपयोग करने हेतु निर्देश- आशा ड्रग किट दिये जाने के समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक आशा के पास हमेशा कम से कम एक माह का दवाओं का स्टॉक उपलब्ध रहे। दवाओं पर चिपके हुए लेबल अंग्रेजी भाषा में होते हैं। अतः प्रयास यह



होना चाहिए कि दवायें अलग-अलग रंग की थैलियों में उपलब्ध करायी जायें, जिससे कि शहरी आशाओं को औषधि वितरण में किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो।

- **आशा ड्रग किट की नियमित रिफिलिंग की जायेगी-** शहरी आशाओं के ड्रग किट हेतु कोई भी धनराशि अलग से नहीं उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। प्रारम्भ में दी गयी मात्रा के अनुसार अपने कार्यक्षेत्र में कार्यरत समस्त शहरी आशाओं की संख्या के आधार पर ए.एन.एम. समस्त सामग्री नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के औषधि भण्डार से प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् अपने कार्यक्षेत्र की समस्त आशाओं को उपरोक्त सामग्री वितरित करेगी।
- शहरी आशाओं के मासिक बैठक के दौरान आशायें अपनी शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर में उल्लेखित स्टॉक इन्ट्री के आधार पर सम्बन्धित ए.एन.एम. शहरी आशा को दवा/अन्य सामग्री उपयोग किये जाने की सूचना देगी। जिसे ए.एन.एम. द्वारा निम्न निर्धारित प्रपत्र पर संकलित किया जायेगा।

क्र.स.	दवा / सामग्री	शहरी आशा 1 द्वारा उपयोग की गयी मात्रा	शहरी आशा 2 द्वारा उपयोग की गयी मात्रा	शहरी आशा ..... द्वारा उपयोग की गयी मात्रा	शहरी आशा .....द्वारा उपयोग की गयी मात्रा	क्षेत्र की सभी शहरी आशाओं द्वारा उपयोग की गयी कुल मात्रा
1	घर पर स्वच्छ प्रसव के लिए डी.डी.के. किट					
2	पैरासीटामॉल टैबलेट					
3	आयरन फॉलिक एसिड (एल) की गोलियां					
4	डाइसाइक्लोमाइन टैबलेट					
5	जिंक टैबलेट					
6	ओ.आर.एस. के पैकट					
7	निश्चय किट					
8	कण्डोम					
9	खाने की गर्भनिरोधक गोलियां (चक्रों में)					
10	आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली					
11	साबुन					
12	विसंक्रमित रूई (50 ग्राम)					
13	पोविडाइन मलहम की ट्यूब					
14	पट्टियां 4 से.मी. X 4 मीटर					

- ए.एन.एम., प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के औषधि भण्डार से औषधि प्राप्त करेगी, तत्पश्चात् आशाओं को औषधि/अन्य सामग्री उपलब्ध कराएगी। उक्त दवा एवं

*Sune*

सामग्री का स्टॉक एवं स्टॉक बुक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के फार्मासिस्ट की निगरानी में रखा जायेगा।

- रिफिलिंग करते समय यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि यदि पहले से ड्रग किट में कोई दवा Expiry Date के निकट हो या Expire हो गयी हो तो उन्हें तत्काल बदल दिया जाय तथा इस बात का ध्यान रखा जाय कि ड्रग किट में दी जाने वाली दवाओं की Expiry Date कम से कम 1 वर्ष बाद की हो। आशा, ड्रग किट का रिकार्ड शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर के सम्बन्धित भाग में अंकित करेगी।
- आशा को ड्रग किट में प्रदान की जाने वाली दवाओं का विवरण पत्र के साथ संलग्न है, जिसके बारे में आशा मासिक बैठक में आशाओं को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित किया जाये (संलग्नक-5)।

#### 6. शहरी आशा मासिक बैठक

प्रदेश में स्वास्थ्य योजनाओं के गुणवत्तापरक क्रियान्वयन एवं शहरी आशाओं का नियमित सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के उद्देश्य से नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रतिमाह शहरी आशाओं की मासिक बैठकों का आयोजन किया जाना है। मासिक बैठकों में आशाओं के क्षमता वर्द्धन के साथ-साथ भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त नवीन दिशा-निर्देशों एवं नवीन कार्यक्रमों के बारे में आशाओं को विस्तृत जानकारी प्रदान की जानी है। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा की जायेगी। प्रत्येक बैठक में सम्बन्धित क्षेत्र की ए.एन.एम. (जिन ए.एन.एम. के क्षेत्र में आशा कार्य कर रही हैं) द्वारा अवश्य प्रतिभाग किया जायेगा।

- **आयोजन स्थल**— शहरी आशा मासिक बैठक हेतु नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आधारभूत सुविधा जैसे बैठने का स्थान, पेय जल की सुविधा, विद्युत सुविधा, क्रियाशील शौचालय आदि की व्यवस्था होना आवश्यक है। बैठक का पर्यवेक्षण एवं संचालन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यदि किसी आयोजन स्थल में लॉजिस्टिक जैसे दरी, जग, गिलास आदि का अभाव है तो इस हेतु कार्यालय व्यय मद में उपलब्ध धनराशि का प्रयोग किया जा सकता है। बैठक में प्रभारी चिकित्साधिकारी के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर नियुक्त स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, शहरी स्वास्थ्य से सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारी के द्वारा प्रतिभाग किया जाना चाहिए।
- **शहरी आशा मासिक बैठक की माइक्रो प्लानिंग**— मासिक बैठकों का आयोजन प्रत्येक माह की 25 तारीख को किया जाएगा। यदि माह की 25 तारीख को अवकाश अथवा टीकाकरण दिवस है तो अगले कार्यदिवस को बैठक का आयोजन किया जाएगा। प्रभारी चिकित्साधिकारी बैठक की तारीख में परिवर्तन की सूचना समस्त प्रतिभागियों एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों को समय से उपलब्ध कराएंगे। बैठक का समय प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक रखा जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए आशाओं की बैठक समय से पूर्ण कर ली जाये ताकि उनके आवागमन में कठिनाई ना हो। बैठक इस प्रकार प्लान की जाय कि प्रत्येक बैठक में अरबन हेल्थ कोआर्डिनेटर/डी0सी0ए0ए0 /सिटी कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर/डी0ई0ओ0 कम एकाउन्टेंट उपस्थित रहे।

शहरी आशाओं की अन्य सामूहिक गतिविधियां इस प्रकार से नियोजित की जानी चाहिए जिससे शहरी आशा मासिक बैठक में लक्षित आशाओं का शत प्रतिशत प्रतिभाग किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। उस दिन कोई और गतिविधि न रखी जाये जिसमें आशाओं के प्रतिभाग की आवश्यकता हो। यदि अपरिहार्य कारण से किसी शहरी आशा द्वारा बैठक में प्रतिभाग नहीं किया जाता है, तो ए.एन.एम. संबंधित आशा को बैठक की कार्यवाही से अवश्य अवगत

कराये। इस स्थिति में आशा को मासिक बैठक हेतु अनुमोदित प्रतिपूर्ति राशि (रु0 150/-) देय नहीं होगी।

- **बैठक का एजेण्डा**— प्रत्येक माह मासिक बैठक हेतु प्रभारी चिकित्साधिकारी के निर्देशन में एक एजेण्डा तैयार किया जायेगा, जिसमें निम्न बिन्दु को सम्मिलित किया जाय।

क्र.सं.	विषय-वस्तु
1	पंजीकरण एवं स्वागत
2	आशा के कार्यों में आने वाली समस्याओं पर चर्चा व उसका निराकरण
3	अरबन हेल्थ इन्डेक्स रजिस्टर (यू.एच.आई.आर.)/आशा पेमेंट वाउचर/संबंधित प्रारूपों का अवलोकन एवं चर्चा
4	सम्बन्धित माह में आयोजित होने वाले अभियानों, विशेष दिवसों जैसे-विश्व स्तनपान दिवस, मातृ स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व एड्स दिवस आदि पर आशाओं की क्षमता वर्धन, राज्य एवं जनपद स्तर से प्राप्त नवीन दिशा-निर्देशों पर चर्चा।
5	आगामी माह की कार्य योजना पर चर्चा
6	शहरी आशा प्रतिपूर्ति राशि एवं आशा द्वारा किये जा रहे कार्यों के आधार पर अच्छा कार्य करने वाली आशाओं को प्रोत्साहित करना
7	आशा मासिक बैठक के दौरान गत माह आशाओं द्वारा जमा किये गये वाउचरों के सापेक्ष आशाओं के खातों में स्थानान्तरित की गयी धनराशि के संबंध में आशाओं को अवश्य अवगत कराना चाहिए। यदि किसी आशा द्वारा जमा किये गये वाउचर एवं स्थानान्तरित की गयी धनराशि में अन्तर है तो उसका कारण अभ्युक्ति कॉलम में अंकित किया जाना चाहिए

बैठक के प्रारम्भ में समस्त प्रतिभागियों का पंजीकरण अवश्य किया जाना चाहिए। मासिक बैठक के लिये अलग रजिस्टर बनाया जाना चाहिये। आशा के अतिरिक्त अन्य प्रतिभागियों की उपस्थिति दूसरे पेज में अंकित किया जाना चाहिए। रजिस्टर का प्रारूप निम्नवत होगा—  
बैठक की तिथि..... स्थान.....

क्र.सं.	शहरी आशा का नाम	कार्यक्षेत्र	मोबाइल नं0	हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1.					

  

क्र.सं.	प्रतिभागी का नाम	पद	मोबाइल नं0	हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1.					

#### 7- FMR U.3.1.3 Miscellaneous ASHA Costs

FMR Code U.3.1.3.1 other Non monetary incentive cost- भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य कार्ययोजना वर्ष 2019-20 में अन्तर्गत शहरी आशा यूनीफार्म हेतु रु0 450/- प्रति आशा की दर से अनुमोदित किया गया है। इस धनराशि का व्यय आशा द्वारा किया जायेगा, जिसके पश्चात उसके द्वारा प्रस्तुत बीजक (बिल) के अनुसार अधिकतम रु0 450/- का भुगतान PFMS के माध्यम से आशा के खाते में किया जायेगा।

- आशाओं को यूनीफार्म के रूप में एक साड़ी दिये जाने हेतु धनराशि प्रदान की जा रही है। यह साड़ी क्रीम रंग की प्लेन होगी एवं उसमें चॉकलेट रंग का बॉर्डर होगा।
- जिन आशाओं द्वारा सामान्यतः साड़ी के स्थान पर सलवार-कुर्ता पहना जाता है, उनके द्वारा साड़ी के स्थान पर क्रीम रंग का सलवार-कुर्ता एवं चॉकलेट दुपट्टा खरीदा जा सकता है।

*for*

- प्रत्येक आशा उपरोक्त रंग के अनुसार साड़ी अथवा सलवार-कुर्ता एवं दुपट्टा स्वयं खरीदेगी।
  - आशाओं द्वारा यूनिफार्म खरीदने के पश्चात सत्यापन ए.एन.एम. द्वारा किया जायेगा।
  - अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के उद्देश्य से CCPM/ DEO cum Accountant/DCAA द्वारा प्रतिमाह होने वाली आशा बैठकों में प्रतिभाग कर आशाओं द्वारा यूनिफार्म हेतु साड़ियों अथवा सलवार-कुर्ता एवं दुपट्टा का क्रय व उपयोग को सुनिश्चित किये जाने हेतु जिम्मेदारी दी गयी है।
  - आशाओं की यूनिफार्म हेतु धनराशि लक्षित आशाओं के आधार पर अवमुक्त की जा रही है। वर्तमान में कार्यरत आशाओं को ही यूनिफार्म हेतु धनराशि प्रदान की जानी है, शेष धनराशि DHS में सुरक्षित रखी जायेगी तथा नवीन शहरी आशाओं के चयन के पश्चात उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार धनराशि आशाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। एक वित्तीय वर्ष में एक आशा को 01 यूनिफार्म हेतु ही धनराशि उपलब्ध करायी जानी है।
8. **आशा डाटाबेस**— ग्रामीण क्षेत्र के समान शहरी क्षेत्रों में कार्य करने वाली आशाओं का डाटाबेस जनपद स्तर पर तैयार किया जाना है। उक्त डाटाबेस में आशाओं के सम्बन्ध में विभिन्न जानकारी जैसे कार्यक्षेत्र आच्छादित आबादी, शैक्षिक योग्यता, एकाउण्ट नं0, आधार कार्ड नं0, मोबाइल नं0, प्रशिक्षण की स्थिति, आदि अंकित किये जाएंगे। उक्त डाटाबेस जनपद स्तर पर डी.सी.ए.ए. द्वारा अधुनान्त किया जाएगा। डाटाबेस हेतु एक्सेल शीट एवं दिशा-निर्देश शहरी स्वास्थ्य अनुभाग/कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई द्वारा जनपदों को पृथक से उपलब्ध कराया जा रहा है (संलग्नक-6)।

#### 9. FMR U.12 Printing Activity

FMR Code U.12.1 Printing activity- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आशाओं द्वारा किये गये कार्यों के अभिलेखीकरण हेतु शहरी आशाओं को शहरी स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका एवं आशा वाउचर उपलब्ध कराया जाना है।

- शहरी स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका के मुद्रण हेतु एफ.एम.आर. कोड संख्या FMR Code U.12.1 के अन्तर्गत रू0 250/- प्रति आशा की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है। रजिस्टर का मुद्रण हेतु निम्न स्पेसिफिकेशन का प्रयोग किया जाना है—

क्र.सं.	विवरण	साइज	जी.एस.एम.	रंग	पृष्ठ
1	कवर पृष्ठ	28 से.मी.x 21 से.मी.	250 जी.एस.एम. आर्ट कार्ड	4 रंगों में	2
2	रजिस्टर के अन्दर के पृष्ठ-2 स्टेप्लड	28 से.मी.x 21 से.मी.	80 जी.एस.एम. मेपलिथो	1 रंग में	कम से कम 264 पृष्ठ

उक्त पंजिका के द्वारा न केवल आशा को अपने क्षेत्र में किये जाने वाले स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सम्बन्ध में सूचनाएं एकत्रित करने में सहायता मिलेगी वरन् आशाओं की प्रतिपूर्ति राशि हेतु सत्यापन में भी सहायता मिलेगी। वित्तीय नियमों एवं ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नियमों को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रों का मुद्रण एवं वितरण सुनिश्चित किया जाय।

- **आशा प्रतिपूर्ति राशि हेतु आशा वाउचर हेतु दिशा-निर्देश** — आशाओं के भुगतान हेतु वाउचर उपलब्ध कराने एवं रख-रखाव हेतु दिशा-निर्देश निम्नवत् हैं—
  - आशाओं द्वारा किये गये कार्यों के लिए प्रदान की जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु वाउचर की बुकलेट छपवाकर प्रत्येक आशा को वितरित की जानी हैं। वाउचर का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है (संलग्नक-1 क और संलग्नक-1 ख)

2/11/

- प्रत्येक बुकलेट में वाउचर्स के दो प्रतियों (डुप्लीकेट कॉपी के 15 सेट अर्थात् 30 पन्ने) की बुकलेट तैयार की जानी है भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य कार्ययोजना वर्ष 2019-20 के FMR Code U.12.1 के अन्तर्गत इस हेतु अधिकतम रू0 25/- प्रति बुकलेट प्रति आशा के आधार पर छपवाने हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है। बुकलेट का मानक निम्नवत् होंगे-

क्र०सं०	उपयोग	जी०एस०एम०	लम्बाई X चौड़ाई
1	एन०यू०एच०एम० फ्लैक्सीपूल मद की वाउचर बुकलेट	57	लम्बाई 26 से.मी. चौड़ाई 21 से.मी.

- बुकलेट के प्रति वाउचर की दोनों प्रतियां 2 रंगों में छपवाई जाय। प्रथम पन्ना सफेद रंग का दूसरा पन्ना गुलाबी रंग का हो सकता है।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष के वाउचर शीघ्र अतिशीघ्र छपवाकर भुगतान हेतु प्रयोग में लाये जायें।
- आशाओं को प्रतिपूर्ति राशि की पूर्ण जानकारी हेतु जनपद स्तर पर आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर का रख-रखाव अनिवार्य है।

उपरोक्त गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि के उपयोग हेतु निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान दिया जाय-

1. विभिन्न गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि का भुगतान पी.एफ.एम.एस. पोर्टल द्वारा किया जाय। किसी भी दशा में किसी भी कर्मचारी को या सेवा प्रदाता को नगद भुगतान न किया जाय। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला मुख्यालय पर भुगतान किये गये समस्त बिल वाउचर सुरक्षित रखे जाय, जिससे कि ऑडिट या अन्य जाँच के समय प्रेषित किया जा सके।
2. ऑपरेशनल गाइडलाइन फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट के नियमों का अनुपालन किया जाये।
3. धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
4. उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम. एवं कार्यक्रम से संबन्धित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्तानुसार धनराशि उपयोगित करने के पश्चात भौतिक एवं वित्तीय आख्या एस०पी०एम०यू० के एन.यू.एच.एम. अनुभाग, अरबन हेल्थ सेल, परिवार कल्याण महानिदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।





संयुक्त निदेशक (नगरीय)  
परिवार कल्याण महानिदेशालय,  
उ०प्र०, लखनऊ

(डॉ० नीला गुप्ता)  
सहायक निदेशक  
परिवार कल्याण, उ०प्र०  
लखनऊ



## शहरी आशा को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के मुगतान हेतु प्रपत्र-1

नगरीय प्राथम स्थापना केन्द्र का नाम ..... माह ..... जमा करने की तिथि .....  
 आशा आई0डी0नं0 ..... स्लम का नाम .....  
 बैंक का नाम ..... खाता संख्या ..... IFS कोड .....

क्र0सं0	कार्यक्रम	2	3	4	5	6	7	8	9
1			गतिविधियाँ	प्रतिपूर्ति राशि (रुपये में)	माह में किया गया कार्य (संख्या लिखें)	माह में कुल अनुमन्य राशि (रु.में )	पिछले माह में शेष मुगतान का विवरण	कुल अनुमन्य राशि (5+6)	मुगतान का विवरण
1				200				200	
2			शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस में लाभार्थियों को प्रेरित करने एवं उपस्थित रहने महिला आरोग्य समिति की बैठक में प्रतिभाग करने	150				150	
3			शहरी आशाओं को सी.एच.सी./पी.एच.सी. पर मासिक बैठक में भाग लेने हेतु यात्रा-व्यय वाई सर्व को अद्यतन करना	150				150	
4			शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर का अद्यतन करने व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण हेतु सहायता करने पर टीकाकरण हेतु बच्चों का ड्यू लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	300				300	
5			शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर का अद्यतन करने व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण हेतु सहायता करने पर	300				300	
6			टीकाकरण हेतु बच्चों का ड्यू लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	300				300	
7			ANC लाभार्थियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	300				300	
8			योग्य दम्पतियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	300				300	
9			प्रसव पूर्व देखभाल हेतु	200				200	
10			संस्थागत प्रसव में सहायता	200				200	
11			मातृ स्वास्थ्य अति जोखिम गर्भवती महिला का उच्चस्तरीय केन्द्र पर परीक्षण/मर्तौ और संस्थागत प्रसव कराने के साथ MCTS/RCH पॉटल पर Entry कराने पर (प्रति केस)	300				300	
12			महिला नसबन्दी (मात्र 18 गैर मिशन परिवार विकास जनपदों में )	200				200	
13			पुरुष नसबन्दी (मात्र 18 गैर मिशन परिवार विकास जनपदों में )	300				300	
14			महिला नसबन्दी मात्र 57 जिलों में	300				300	
15			पुरुष नसबन्दी मात्र 57 जिलों में	400				400	
16			प्रसव पश्चात महिला नसबन्दी मात्र 57 जिलों में	400				400	
17			प्रसव पश्चात महिला नसबन्दी (मात्र 18 गैर मिशन परिवार विकास जनपदों में )	300				300	
18			दो बच्चों के पश्चात स्थायी गर्भनिरोधक साधन हेतु प्रेरित करने पर	1000				1000	
19			शारी के पश्चात 2 साल तक प्रथम बच्चे हेतु अन्तःराल रखने हेतु प्रेरित करने पर	500				500	
20			प्रथम बच्चे से द्वितीय बच्चे के मध्य 3 साल का अन्तराल रखने हेतु प्रेरित करने पर	500				500	
21			लानार्थी को PPIUCD लगवाने हेतु स्वास्थ्य इकाई पर ले जाने/सहयोग करने पर	150				150	
22			लानार्थी को नई पहल किट वितरण करने के सम्बन्ध में प्रति किट मात्र 57 जिलों में	100				100	
23			लानार्थी को स्वास्थ्य इकाई पर ले जाने एवं त्रैमासिक गर्भनिरोधक इन्जेक्शन (अन्तः) लगवाने हेतु प्रति लानार्थी रु.100 मात्र 57 जिलों में	100				100	
24			लानार्थी को स्वास्थ्य इकाई पर ले जाने एवं त्रैमासिक गर्भनिरोधक इन्जेक्शन (अन्तः) लगवाने हेतु प्रति लानार्थी रु.100 मात्र 57 जिलों में	150				150	
25			गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल (HBNC) के अन्तर्गत, मांडपल 6-7 व CCSP में प्रशिक्षित आशाओं हेतु	225				225	
26			महिला को चिकित्सालय तक ले जाकर मंडिकल विधि से गर्भपात सेवाओं के उपरान्त तीन बार फॉलोअप करना (प्रति केस)	250				250	
27			गर्भवती एवं धात्री माताओं की मासिक बैठक (माह में 3 बैठक) करने के उपरान्त त्रैमासिक आधार पर दो जाने वाली धनराशि (MAA)	100				100	
28			0-1 वर्ष के बच्चों का पूर्ण प्रतिरक्षीकरण हेतु (प्रति बच्चा)	100				100	
29			1-2 वर्ष के बच्चों का पूर्ण प्रतिरक्षीकरण हेतु (प्रति बच्चा)	50				50	
30			5-6 वर्ष की आयु तक (डी.पी.टी.बुस्टर-2) प्रतिरक्षण हेतु (प्रति बच्चा)	50				50	
31			टीकाकरण के लिए बच्चों को प्रेरित करने हेतु ( प्रति सत्र )	150				150	
32			गर्भवती महिला का पंजीकरण कराने के पश्चात दो जाने वाली धनराशि प्रति केस	50				50	
33			गर्भवती महिला का प्रपत्र 1 सी भरकर प्रस्तुत करने के पश्चात प्रति केस	50				50	
34			हेल्थ प्रमोशन दिवस	200				200	
35			ए.ए.ए.	75				75	
36			आर0के0एस0के0 किशोर स्वास्थ्य दिवस हेतु AHD (प्रति दिवस)	200				200	

आशा के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर  
सी0सी0पी0एम0

संबन्धित ए0एन0एम0 द्वारा सत्यापन

हस्ताक्षर  
प्रमारी सि0के0सा अधिकारी



राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

वर्ष- 2019-20

आशाओं को विभिन्न मदों में किये जाने वाले ब्लॉकस्तरीय रिपोर्टिंग प्रपत्र

नगरीय प्री0 स्वा0 केन्द्र का नाम -

1	2	3	मातृ स्वास्थ्य		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33																			
			जे0एस0वाइ	HRP																																																	
३०३०	आशा का नाम	आशा का आई0डी नंबर	प्रसव पूर्व देखभाल हेतु	प्रसव प्री देखभाल हेतु	रखरखाव प्रसव में शामिल	अति जाँचिम गर्भवती महिला का उखरलीय केन्द्र पर परीक्षण,मर्जी और संस्थागत प्रसव कराने के साथ MCTS/RCH फॉटल पर Entry कराने पर (प्रति केस)	महिला नसबन्दी (मात्र 18 मीर मिशन परिवार विकास जपदों में)	महिला नसबन्दी (मात्र 18 मीर मिशन परिवार विकास जपदों में)	महिला नसबन्दी मात्र 57 जिलों में	महिला नसबन्दी मात्र 57 जिलों में	महिला नसबन्दी मात्र 57 जिलों में	प्रसव प्रसवत महिला नसबन्दी मात्र 57 जिलों में	प्रसव प्रसवत महिला नसबन्दी (मात्र 18 मीर मिशन परिवार विकास जपदों में)	दी बच्चा के प्रसवार्थ स्वास्थ्य मनिथोरिक साधन हेतु प्रेरित करने पर	शारी के प्रसवार्थ 2 साल तक प्रसव बच्चे हेतु अन्तर्गत रखने हेतु प्रेरित करने पर	प्रसव बच्चे से द्वितीय बच्चे के मध्य 3 साल का अन्तर्गत रखने हेतु प्रेरित करने पर	PPUCD	Client को PAUCD लगवाने हेतु मात्र 57 जिलों में	लगभगी को नई फुल किट वितरण करने के सम्बन्ध में प्रति किट मात्र 57 जिलों में	महिला को विकल्पित्य तक ले जाकर महेकल लिभि से गर्भगत सेवाओं के उपरान्त तीन बार फॉलोअप करना (प्रति केस)	लगभगी को स्वास्थ्य इकाई पर ले जाने एवं शैक्षणिक मनिथोरिक इन्तर्वेक्षण अन्तर्गत लगवाने हेतु (प्रति जिला) मात्र 57 जिलों में	एक्स पीडिया कार्यक्रम हेतु प्रतिदिन 100 से 150 बच्चों को मातलाइज करने पर	एक्स पीडिया कार्यक्रम (0-1)	पूर्ण प्रतिक्षण (1-2)	5-6 वर्ष की आयु तक (डीपीटीक्यूटर्-2) प्रतिक्षण हेतु प्रति बच्चा टीकाकरण के लिए बच्चों को प्रेरित करने हेतु ( प्रति सेज )	SAM बच्चों को NRC में सम्दर्शन करने पर प्रति बच्चा	SAM बच्चों को NRC से छुट्टी देने के प्रसवार्थ 4 फॉलोअप करने पर	गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल (HBNC) के अन्तर्गत मोड्यूल 6-7 व CCSP में प्रतिक्षण आशाओं हेतु	गर्भवती एवं शारी माताओं की मासिक बैठक (मात्र 3 बैठक) करने के उपरान्त शैक्षणिक आधार पर दी जाने वाली धनराशि (MAA)	किंगर स्वास्थ्य दिवस हेतु AHD (प्रति दिवस)	जटिल प्रवाइजर (नये शैपी)	शैपी प्रतिक्षण (MDR-TB) शैपीया का इलाज और सहयोग प्रदान करने वाले समुदाय डॉी प्रदाता के लिए प्रोत्साहन राशि	5000	1000	200	100	250	100	100	50	150	100	100	75	100	50	50	150	50	100	200	1000	5000
1	मद की धनराशि																																																				
2																																																					
3																																																					
4																																																					
5																																																					
6																																																					
7																																																					







## राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन वर्ष - 2019-20

शहरी आशाओं को विभिन्न मर्दों में किये जाने वाले भुगतान का जनपद स्तरीय मासिक रिपोर्टिंग प्रपत्र

जनपद का नाम -		मातृ स्वास्थ्य	परिवार कल्याण	नियमित टीकाकरण	HPD
1	मद	जो0एस0 वाई0	HRP	पूर्ण प्रतिक्षण (1-2)	5-6 वर्ष की आयु तक (डी.पी.टी. बूस्टर-2) प्रतिक्षण हेतु प्रति बच्चा
2	मद	जो0एस0 वाई0	HRP	पूर्ण प्रतिक्षण (0-1)	टीकाकरण के लिए बच्चों को प्रेरित करने हेतु (प्रति सत्र)
3	मद	जो0एस0 वाई0	HRP	पलस पोलियो कार्यक्रम	कमि कर्मिक
4	मद	जो0एस0 वाई0	HRP	अन्तरा लगवार्न हेतु	कमि कर्मिक
5	मद	जो0एस0 वाई0	HRP	शादी के पश्चात् 2 साल तक अन्तराल	कमि कर्मिक
6	मद	जो0एस0 वाई0	HRP	दो बच्चों के पश्चात् स्थायी गर्भनिरोधक	कमि कर्मिक
7	मद	जो0एस0 वाई0	HRP	3 साल का अन्तराल हेतु	कमि कर्मिक
8	मद	जो0एस0 वाई0	HRP	PAIUCD	कमि कर्मिक
9	मद	जो0एस0 वाई0	HRP	PPIUCD	कमि कर्मिक
10	मद	जो0एस0 वाई0	HRP	पुरुष नसबन्दी	कमि कर्मिक
11	मद	जो0एस0 वाई0	HRP	महिला नसबन्दी	कमि कर्मिक
12	मद	जो0एस0 वाई0	HRP	महिला को चिकित्सात्मक रूप से उपचारित करने के लिए सक्षम बनाने हेतु	कमि कर्मिक
13	मद	जो0एस0 वाई0	HRP	अन्तरा लगवार्न हेतु	कमि कर्मिक
14	मद	जो0एस0 वाई0	HRP	महिला को चिकित्सात्मक रूप से उपचारित करने के लिए सक्षम बनाने हेतु	कमि कर्मिक
15	मद	जो0एस0 वाई0	HRP	कमि कर्मिक	कमि कर्मिक
16	मद	जो0एस0 वाई0	HRP	कमि कर्मिक	कमि कर्मिक
17	मद	जो0एस0 वाई0	HRP	कमि कर्मिक	कमि कर्मिक
18	मद	जो0एस0 वाई0	HRP	कमि कर्मिक	कमि कर्मिक
19	मद	जो0एस0 वाई0	HRP	कमि कर्मिक	कमि कर्मिक
20	मद	जो0एस0 वाई0	HRP	कमि कर्मिक	कमि कर्मिक
21	मद	जो0एस0 वाई0	HRP	कमि कर्मिक	कमि कर्मिक
22	मद	जो0एस0 वाई0	HRP	कमि कर्मिक	कमि कर्मिक
23	मद	जो0एस0 वाई0	HRP	कमि कर्मिक	कमि कर्मिक
24	मद	जो0एस0 वाई0	HRP	कमि कर्मिक	कमि कर्मिक
25	मद	जो0एस0 वाई0	HRP	कमि कर्मिक	कमि कर्मिक
26	मद	जो0एस0 वाई0	HRP	कमि कर्मिक	कमि कर्मिक
27	मद	जो0एस0 वाई0	HRP	कमि कर्मिक	कमि कर्मिक
28	मद	जो0एस0 वाई0	HRP	कमि कर्मिक	कमि कर्मिक
29	मद	जो0एस0 वाई0	HRP	कमि कर्मिक	कमि कर्मिक
30	मद	जो0एस0 वाई0	HRP	कमि कर्मिक	कमि कर्मिक
31	मद	जो0एस0 वाई0	HRP	कमि कर्मिक	कमि कर्मिक
32	मद	जो0एस0 वाई0	HRP	कमि कर्मिक	कमि कर्मिक
33	मद	जो0एस0 वाई0	HRP	कमि कर्मिक	कमि कर्मिक
34	मद	जो0एस0 वाई0	HRP	कमि कर्मिक	कमि कर्मिक
35	मद	जो0एस0 वाई0	HRP	कमि कर्मिक	कमि कर्मिक
36	मद	जो0एस0 वाई0	HRP	कमि कर्मिक	कमि कर्मिक
37	मद	जो0एस0 वाई0	HRP	कमि कर्मिक	कमि कर्मिक
38	मद	जो0एस0 वाई0	HRP	कमि कर्मिक	कमि कर्मिक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
वर्ष - 2019-20

आशाओं को विभिन्न मदों में किये जाने वाले भुगतान का जनपद स्तरीय मासिक रिपोर्टिंग प्रपत्र

माह -																																																	
RNTCP	मलेरिया	कुष्ठ रोग	NIDDCP	कालाजार	PMMVY	आर०के०एस०के०	बाल स्वास्थ्य	ए०ए०ए०	एडिशनलिटी मद (नियमित गतिविधियाँ हेतु)																																								
आटस प्रोवाइडर (नये रोगी) और शेष प्रदान करने वाले सुप्रदायकों के लिए प्रोत्साहन राशि रक्त परिटिका बनाना फोस्फो पेंटसिन फोलीो पेंटसिन	कम्प्लिकेड आशाओं का भुगतान हेतु आशाओं का भुगतान हेतु आशाओं का भुगतान हेतु आशाओं का भुगतान हेतु आशाओं का भुगतान हेतु आशाओं का भुगतान हेतु आशाओं का भुगतान हेतु आशाओं का भुगतान हेतु आशाओं का भुगतान हेतु आशाओं का भुगतान हेतु आशाओं का भुगतान हेतु आशाओं का भुगतान हेतु	कुष्ठ रोग की पहचान हेतु कुष्ठ रोग की पहचान हेतु कुष्ठ रोग की पहचान हेतु कुष्ठ रोग की पहचान हेतु कुष्ठ रोग की पहचान हेतु कुष्ठ रोग की पहचान हेतु कुष्ठ रोग की पहचान हेतु कुष्ठ रोग की पहचान हेतु कुष्ठ रोग की पहचान हेतु कुष्ठ रोग की पहचान हेतु कुष्ठ रोग की पहचान हेतु कुष्ठ रोग की पहचान हेतु	50 परसेंटेज तक परकेण हेतु कालाजार हेतु (IRS) डिस्कवाव	गर्भवती महिलाओं का भुगतान हेतु करने के परभाव प्रति केस	किशोर स्वास्थ्य दिवस हेतु AHD (प्रति दिवस)	SAM बच्चों को NRC में सन्दर्भन करने पर प्रति बच्चा	SAM बच्चों को NRC से छुट्टी होने परथात 4 फॉलोअप करने पर प्रति बच्चा	गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल (HBNC) के अन्तर्गत, माइग्रूल 6-7 व CCSP में प्रशिक्षित आधार पर आशाओं हेतु	गर्भवती एवं धात्री माताओं की मासिक बैठक (माह में 3 बैठक) करने के उपरान्त त्रैमासिक आधार पर दी जाने वाली धनराशि	आशाओं का भुगतान हेतु																																							
										39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78